न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 45/2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर

......प्रार्थी

बनाम

1. भोमा पुत्र काना मृतक जरिये वारिसान–
   1/1. राधा पुत्री छीतर
   1/2. बलवीर पुत्र हनुमान
   1/3. लीला पुत्री हनुमान
   1/4. मंजू पुत्री हनुमान
   1/5. पप्पु पुत्र धर्मा
   1/6. गंगा पुत्र धर्मा
   1/7. केली पुत्री धर्मा
   1/8 छोटी पुत्री धर्मा
   1/9 गोमी पत्नी किशन
   1/10 विजयसिंह पुत्र किशना
   1/11 जयसिंह पुत्र किशना
   1/12 हेमराज पुत्र बन्ना
   1/13 रघुवीर पुत्र बन्ना
   1/14 कविता पुत्री बन्ना
   1/15 शान्ति पत्नी शैतान
   1/16 मुकेश पुत्र शैतान
   1/17 सेठू पुत्र शैतान
   1/18 राजू पुत्र शैतान
   1/19 इन्द्रा पुत्री शैतान

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर

.............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक
2. श्री पप्पू	अप्रार्थी 1/5

आदेश दिनांक – 05.02.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर स्थित आराजी खसरा नं0 223 मि0 रकबा 06 बिस्वा किस्म बा0 1 (वर्तमान खसरा

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

नम्बर 122 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही 3) भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर के आदेश क्रमांक 225 दिनांक 21.06.1995 अप्रार्थी को कृषि भूमि का आवंटन/नियमन, नियम 1970 के तहत अप्रार्थी के पूर्वज के हक में किये गये खातेदारी अंकन से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् सुनवाई का नोटिस दिया गया। अप्रार्थी सं. 1/5 दिनांक 02.08.2022 को उपस्थित आये। दिनांक 02.08.2022 से निरन्तर आज दिनांक तक उपस्थित नहीं। शेष अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। उपस्थित पेरोकार सरकार को प्रार्थना पत्र 14(4) राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन) नियम 1970 पर सुना गया। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 14(4) के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर स्थित आराजी खसरा नं0 223 मि0 रकबा 06 बिस्वा किस्म बा0 1 (वर्तमान खसरा नम्बर 122 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही 3) भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर के आदेश क्रमांक 225 दिनांक 21.06.1995 अप्रार्थीगण के पूर्वज को आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तो के अनुरूप आवंटित भूमि में अप्रार्थी/पूर्वज को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी थी किन्तु पटवारी हल्का तिलोरा तथा भू-अभिलेख नान्द द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 अनुसार प्रकरण अन्तर्गत आवंटी/अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, तथा आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। तद्नुसार अप्रार्थी/अप्रार्थीगण ने आवंटन/नियमन की शर्तो के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 122 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही 3 अप्रार्थीगण के पूर्वज को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

हमने राजकीय पेरोकार की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आवश्यक दस्तावेज होने से प्रश्नगत आवंटित भूमि पर आवंटी/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त साबित नहीं है। साथ ही आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार कर आदेश दिनांक 21.06.1995 द्वारा ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 223 मि0 रकबा 06 बीस्वा किस्म बा0 1 (वर्तमान खसरा नम्बर 122 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही 3) अप्रार्थीगण के पूर्वज के हक में किया गया आवंटन/नियमन, नियम विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को आदेश दिए जाते है कि उक्त भूमि जरिये नामान्तकरण सिवायचक दर्ज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार पुष्कर को पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर